राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 351/2012/कोटा

मैसर्स गैमन इण्डिया लि0,
के.टी.पी.एस. काम्पलेक्स, सकतपुरा, कोटा .....अपीलार्थी

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी,
   विशेष वृत प्रथम, कोटा
2. उपायुक्त (अपील्स),
   अजमेर कैम्प कोटा .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित :

श्री एम.एल.पाटौदी, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 21.03.2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 90/वैट/10–11/कोटा में पारित आदेश दिनांक 01.12.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत प्रथम, कोटा (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 24 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 29.02.2010 के जरिये कायम की गयी मांग राशि के सम्बन्ध में प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने को विवादित किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी को आलोच्य अवधि में मैसर्स नेवेली लिगनाईट कोरपोरशन लि0 बरसिंगसर प्रोजेक्ट, बीकानेर से कार्यादेश दिनांक 26.10.2006 Design Const., Supply, Erection, testing and commissioning of 220 MTR, Twin Flue RCC Chimney for Chhabra Thermal Power Project से रूपये 26.00 करोड़ का प्राप्त हुआ जिसके सम्बन्ध में विभाग द्वारा मुक्ति प्रमाण पत्र (ई.सी.) क्रमांक 11/1045 दिनांक 16.05.2007 @1.5 प्रतिशत मुक्ति शुल्क हेतु जारी किया गया जिसे संशोधित आदेश द्वारा मुक्ति शुल्क दायित्व @ 2.25 प्रतिशत माना गया। अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 में उक्त कार्यों के निष्पादन से कुल रूपये 42,43,51,917/– का भुगतान प्राप्त हुआ जिस पर 2.25 प्रतिशत से रूपये 95,47,918/– का मुक्ति शुल्क निर्धारित किया गया तथा अंतर मुक्ति शुल्क @ 0.75 प्रतिशत से रूपये 31,82,640/– एवं इससे संबंधित ब्याज रूपये 4,64,678/– आरोपित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपील करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 01.12.2011 द्वारा प्रकरण कतिपय निर्देशों के साथ कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया। उक्त अपीलीय आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....2

3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने जाहिर किया कि अपीलीय आदेश दिनांक 01.12.2011 की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.02.2013 को पारित कर दिया गया है, जिससे वर्तमान में लम्बित यह अपील निष्प्रभावी हो जाती है।
4. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने भी प्रतिप्रेषण अपीलीय आदेश की पालना में कर निर्धारण आदेश पारित कर दिये जाने के कारण अपील के निष्प्रभावी हो जाना बताते हुए इसे खारिज करने का निवेदन किया।
5. उभयपक्ष की बहस, प्रस्तुत तथ्यों, प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त तथा रिकार्ड का अवलोकन किया गया।
6. रिकॉर्ड का परिशीलन से विदित होता है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलोच्य अवधि से संबंधित प्रस्तुत अपील के सम्बन्ध में अपीलीय आदेश दिनांक दिनांक 01.12.2011 द्वारा प्रकरण कतिपय निर्देशों के साथ निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया था। निर्धारण अधिकारी ने प्रतिप्रेषित प्रकरण का निष्पादन अपने आदेश दिनांक 27.02.2013 को कर दिया है। अतः प्रस्तुत अपील निष्प्रभावी हो गई है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सहायक आयुक्त बनाम मोहित ट्रेडिंग कम्पनी के प्रकरण (25 टैक्स अपडेट 59) में दिया गया निर्णय उल्लेखनीय है जिसमें प्रतिप्रेषण सम्बन्धी अपीलीय आदेश की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित कर दिये जाने पर कर बोर्ड द्वारा अपील निष्प्रभावी माने जाने को विधिसम्मत माना है। उक्त उल्लिखित निर्णय का संदर्भित निर्णयांश निम्न प्रकार है :–

> "In my opinion, no error has been committed by learned Tax board while rendering the appeal filed by the Department as infructuous in view of the fact that the Assistant Commissioner, Commercial Taxes has decided the matter finally on remand. Therefore, no interference is required in the impugned order."

7. परिणामतः प्रस्तुत अपील "निष्प्रभावी" होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया ।

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष